रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02062026-273080
CG-DL-E-02062026-273080

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2715]	नई दिल्ली, मंगलवार, जून 2, 2026/ज्येष्ठ 12, 1948
No. 2715]	NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 2, 2026/JYAISTHA 12, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2026

सं. 19/2026-27

विषय: आइटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय 71 के अंतर्गत विशिष्ट आइटीसी एचएस कोड की आयात नीतिगत शर्त में संशोधन-के संबंध में।

का.आ. 2809(अ).— समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैर 1.02 और 2.01 के साथ पठित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 3 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतदद्वारा आइटीसी (एचएस) 2022 अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय 71 के अंतर्गत विशिष्ट आइटीसी एचएस कोड की आयात नीतिगत शर्त को तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित करती है:

आइटीसी एचएस कोड	मद विवरण	आयात नीति	मौजूदा आयात नीतिगत शर्त	संशोधित आयात नीतिगत शर्त
7106	चांदी (सोना या प्लेटिनम जड़ित चांदी सहित), अगढ़ित या अर्ध-निर्मित अवस्था में या पाउडर के रूप में	–	–	–
71061000	-पाउडर	प्रतिबंधित	आयात केवल आरबीआइ (बैंकों के मामले में) और डीजीएफटी (अन्य एजेंसियों हेतु) द्वारा यथाअधिसूचित नामित एजेंसियों के माध्यम से अनुमत है।	आयात बैंको के मामले में, रिजर्व बैक ऑफ इंडिया और अन्य एजेंसियों के मामले में विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा यथा-अधिसूचित नामित एजेंसियों के माध्यम से डीजीएफटी द्वारा जारी वैध आयात प्राधिकार पत्र के आधार पर ही अनुमत किया जाएगा।
710691	-अन्य :--- अगढ़ित	-	-	-
71069110	--- अनाज	प्रतिबंधित	आयात केवल आरबीआइ (बैंकों के मामले में), डीजीएफटी (अन्य एजेंसियों हेतु) और भारत अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज (आइआइबीएक्स) के माध्यम से निर्यात के लिए आइएफएससीए द्वारा अधिसूचित अर्हता प्राप्त ज्वेलर्स द्वारा यथा अधिसूचित नामित एजेंसियों के माध्यम से अनुमत है। सिल्वर डोरे को एयू नीति के संबंध में लाइसेंस के आधार पर रिफाइनरी द्वारा आयात किया जा सकता है।	आयात बैंको के मामले में, रिजर्व बैक ऑफ इंडिया, अन्य एजेंसियों के मामले में विदेश व्यापार महानिदेशालय और भारत अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज (आइआइबीएक्स) के माध्यम से निर्यात के लिए आइएफएससीए द्वारा अधिसूचित अर्हता प्राप्त ज्वेलर्स द्वारा अधिसूचित नामित एजेंसियों के माध्यम से डीजीएफटी द्वारा जारी वैध प्राधिकार पत्र के आधार पर ही अनुमत किया जाएगा। सिल्वर डोरे को एयू नीति के संबंध में लाइसेंस के आधार पर रिफाइनरी द्वारा आयात किया जा सकता है।
71069120	99.9 प्रतिशत या अधिक भार की चांदी	प्रतिबंधित	आयात केवल आरबीआइ (बैंकों के मामले में), डीजीएफटी (अन्य एजेंसियों हेतु) और भारत अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज (आइआइबीएक्स) के माध्यम से निर्यात के लिए आइएफएससीए द्वारा अधिसूचित अर्हता प्राप्त ज्वेलर्स द्वारा यथा अधिसूचित नामित एजेंसियों के माध्यम से अनुमत है।	आयात बैंको के मामले में, रिजर्व बैक ऑफ इंडिया, अन्य एजेंसियों के मामले में विदेश व्यापार महानिदेशालय और भारत अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज (आइआइबीएक्स) के माध्यम से निर्यात के लिए आइएफएससीए द्वारा अधिसूचित अर्हता प्राप्त ज्वेलर्स द्वारा अधिसूचित नामित एजेंसियों के माध्यम से डीजीएफटी द्वारा जारी वैध प्राधिकार पत्र के आधार पर ही अनुमत किया जाएगा।
71069190	--- अन्य	प्रतिबंधित	आयात केवल आरबीआइ (बैंकों के मामले में) और डीजीएफटी (अन्य एजेंसियों हेतु) द्वारा यथाअधिसूचित नामित एजेंसियों के माध्यम से अनुमत है। सिल्वर डोरे को एयू नीति के संबंध में लाइसेंस के आधार पर	आयात बैंको के मामले में, रिजर्व बैक ऑफ इंडिया और अन्य एजेंसियों के मामले में विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा यथा-अधिसूचित नामित एजेंसियों के माध्यम से डीजीएफटी द्वारा जारी वैध आयात प्राधिकार पत्र के आधार पर ही अनुमत किया जाएगा।

			रिफाइनरी द्वारा आयात किया जा सकता है।	सिल्वर डोरे को एयू नीति के संबंध में लाइसेंस के आधार पर रिफाइनरी द्वारा आयात किया जा सकता है।

<u>अधिसूचना का प्रभाव:</u> उपर्युक्त आइटीसी एचएस कोड के तहत मदों का आयात, बैंकों के मामले में आरबीआइ, अन्य एजेंसियों के मामलें में विदेश व्यापार महानिदेशालय, और भारत अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज (आइआइबीएक्स) के माध्यम से आयात के लिए आइएफएससीए द्वारा अधिसूचित अर्हता प्राप्त ज्वेलर्स द्वारा, जहां भी अनुमत हो, डीजीएफटी द्वारा जारी वैध आयात प्राधिकार पत्र के आधार पर ही अनुमत किया जाएगा।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

[फा. सं. 01/89/180/36/एएम-11/पीसी-2[ए]/पार्ट-VI/ई-34691]

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June, 2026

No. 19/2026-27

Subject: Amendment in import policy condition of specific ITC HS Codes covered under Chapter 71 of ITC (HS), 2022, Schedule - I (Import Policy)-reg.

S.O. 2809(E).— In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the import policy condition of specific ITC HS Codes covered under Chapter 71 of ITC (HS), 2022, Schedule - I (Import Policy) with immediate effect:

ITC(HS) Code	Item description	Import Policy	Existing Import Policy Condition	Revised Import Policy Condition
7106	Silver (including silver plated with gold or platinum), unwrought or in semi manufactured forms, or in powder form.	-	-	-
71061000	- Powder	Restricted	Import is allowed only through nominated agencies as notified by RBI (in case of banks) and DGFT (for other agencies).	Imports through nominated agencies notified by the Reserve Bank of India, in the case of banks, and by the Directorate General of Foreign Trade, in the case of other agencies, shall be permitted only against a valid Import Authorisation issued by the DGFT.
710691	- Other :-- Unwrought:	-	-	-
71069110	--- Grains	Restricted	Import is allowed only through nominated agencies as notified by RBI (in case of banks), DGFT (for other	Imports through nominated agencies notified by the Reserve Bank of India, in the case of banks, and by the Directorate General of

			agencies) and by qualified jewellers as notified by the IFSCA for import through India International bullion Exchange (IIBX). Silver dore can be imported by refineries against a license with AU Condition.	Foreign Trade, in the case of other agencies, and by qualified jewellers as notified by the IFSCA for import through India International Bullion Exchange (IIBX) shall be permitted only against a valid Import Authorisation issued by the DGFT. Silver dore can be imported by refineries against a license with AU Condition.
71069120	Containing 99.9 per cent. or more by weight of silver	Restricted	Import is allowed only through nominated agencies as notified by RBI (in case of banks), DGFT (for other agencies) and by qualified jewellers as notified by the IFSCA for import through India International Bullion Exchange (IIBX)	Imports through nominated agencies notified by the Reserve Bank of India, in the case of banks, by the Directorate General of Foreign Trade, in the case of other agencies, and by qualified jewellers as notified by the IFSCA for import through India International Bullion Exchange (IIBX) shall be permitted only against a valid Import Authorisation issued by the DGFT.
71069190	--- Other	Restricted	Import is allowed only through nominated agencies as notified by RBI (in case of banks) and DGFT (for other agencies). Silver dore can be imported by refineries against a license with AU condition	Import through nominated agencies notified by the Reserve Bank of India, in the case of banks, and by the Directorate General of Foreign Trade, in the case of other agencies, shall be permitted only against a valid Import Authorisation issued by the DGFT. Silver dore can be imported by refineries against a license with AU condition

Effect of the Notification: Import of items under the above mentioned ITCHS codes, through nominated agencies notified by the Reserve Bank of India, in the case of banks, by the Directorate General of Foreign Trade, in the case of other agencies, and by qualified jewellers as notified by the IFSCA for import through India International Bullion Exchange (IIBX), wherever allowed, shall be permitted only against a valid Import Authorisation issued by the DGFT.

This is issued with the approval of the Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/36/AM-11/PC-2[A]/Part-VI/E-34691]

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.06.02 23:11:54 +05'30'